

क्रमांक स.24(3)(12)स्था/मंत्रा/अभि/2022/ 753-763 दिनांक:- 18/1/2023

-: नियुक्ति आदेश :-


प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(4)प्र.सु./अनु.-3/2022 जयपुर दिनांक 13.01.2023 एवं परिपत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों में से इस विभाग को आवंटित एक अभ्यर्थी को नियुक्ति देने हेतु आवंटित करने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को अभियोजन विभाग में रिक्त शीघ्रलिपिक के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 23700/- प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप में पूर्ण करने के उपरान्त पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या-10 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्ति की जाकर इनका पदस्थापन इनके नाम के सामने अंकित कार्यालय के अधीन एतद्वारा किया जाता है :-

क्र.सं.	वरियता क्रमांक	रोल न.	अभ्यर्थी मय पिता का नाम	जन्म तिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन कार्यालय
1.	461	120392	श्री तरुण अग्रवाल पुत्र श्री मुकेश अग्रवाल	07-07-1995	GEN	उप निदेशक अभियोजन, भरतपुर

- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, 6(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.06, 13(1)एफडी/रूल्स/03 दिनांक 13.03.06, एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 30.10.17 एवं संशोधित आदेश दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक रूपये 23700/- (Fixed Remuneration) प्रतिमाह के हकदार होंगे, इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं एडहोक बोनस इत्यादि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा।
- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.06 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) अवधि में सेवाये सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या-10 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते स्वीकृत किये जावेंगे।
- दिनांक 01.04.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुरानी पेंशन योजना लागू होगी।
- परिवीक्षा अवधि में वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के आदेश क्रमांक: प.2(2) वित्त (नियम)/2021पार्ट दिनांक 26.05.2022 के अनुसार प्रोबेशनर-ट्रेनी के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधानी निधि हेतु अभिदान की नियत पारिश्रमिक से मासिक कटौती की जानी है परन्तु राज्य बीमा अंशदान की कटौतियाँ नहीं की जावेंगी। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही परीक्षा अवधि में नियमानुसार कटौतियाँ की जा सकेंगी।
- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
- परीक्षा काल (Probation-Period) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
- यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो उसमें असफल रहने पर उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।




8. उपरोक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 से अभियोजन विभाग को प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर द्वारा वरियता क्रमानुसार उपलब्ध कराये कार्मिको के समनुरूप होगी। चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
9. परीक्षा/प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रवर्तनीय आदेशानुरूप देय होंगे।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. उक्त नियुक्तियों राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुक्रमिक शासित होगी एवं इन पर समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
12. अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
13. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है। अस्थाई सेवाकाल में बिना किसी पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
14. उक्त अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्नित किये गये दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/मिथ्या पाये जाते हैं तो राज्य सरकार/विभाग इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।
15. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अप्ररिवर्तनीय होगी।
16. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि शीघ्रलिपिक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
17. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, परन्तु स्थानान्तरण पर माईलेज (मील भत्ता) इन्सीडेण्टल चार्ज एवं यात्रा व्यय नियत पारिश्रमिक पर देय होगा।
18. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में यदि वह असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवे कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।


(युधिष्ठिर शर्मा)
 निदेशक अभियोजन
 राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) विभाग, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभि./न्याय), राजस्थान जयपुर।
5. उप निदेशक अभियोजन, भरतपुर राजस्थान को भेजकर लेख है कि यदि आपके जिले में पदस्थापित उक्त अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करता है तो निर्धारित समयावधि पश्चात उसे कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावे तथा नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तों की पूर्ण पालना होने के पश्चात कार्यग्रहण करवाया जाकर पालना सुनिश्चित करे।
6. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि आप नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तों को पूर्ण करते हुये 15 दिवस की नियत अवधि में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर लें।
7. निजी पत्रावली/पदौन्नति शाखा/गोपनीय शाखा, अभियोजन निदेशालय, राज. जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।


 निदेशक अभियोजन,
 राजस्थान जयपुर।